अनुदान संख्या 21 - रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 21–MINISTRY OF DEFENCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*26,00*	*86,00*	*1,57,43*	*+71,43*
पूरक	*Supplementary*	*60,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	5612,28,00	6571,39,00	6292,67,04	–278,71,96
पूरक	Supplementary	959,11,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,64,34
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		435,82,00	317,38,19	–118,43,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				49,44,21

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, यद्यपि दिसंबर, 2004 में *60.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त किया गया था परन्तु व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *71.43 लाख* रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय *71,43,011* रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, although supplementary *appropriation of Rs.60.00 lakhs* was obtained in December, 2004, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation by Rs.71.43 lakhs* (Actual excess was *Rs.71,43,011*). **The excess requires regularisation by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat – General Services				
मू.	*O.*	*26.00*	*86.00*	*157.43*	*+71.43*
पू.	*S.*	*60.00*			

(I) ''अन्य कार्यालय - रक्षा लेखा विभाग'' के अंतर्गत *77.43 लाख* रु. का अधिक व्यय *(60.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* सहित *80.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) डाटा एंट्री आपरेटर के संबंध में अधिक संख्या में न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मामलों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुआ।

(I) Under "Other Offices – "Defence Accounts Department" - excess of *Rs.77.43 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.80.00 lakhs* including supplementary *appropriation* of *Rs.60.00 lakhs)* was due to finalisation of more number of Court/Central Administrative Tribunal cases in respect of Data Entry Operators.

2. अधिक व्यय दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जो *6.00 लाख* रु. की बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया।

2. The excess was partly offset by saving of *Rs.6.00 lakhs* remaining wholly unutilised under two heads.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (27871.96 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 95911.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.27871.96 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grants of Rs.95911.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

Savings occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat – General Services				
मू.	O.	51791.00	54076.89	53780.47	–296.42
पू.	S.	4320.00			
पु.	R.	–2034.11			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	479685.00			
पू.	S.	91591.00	571580.00	545809.90	–25770.10
पु.	R.	304.00			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "अन्य कार्यालय"-

(क) "रक्षा लेखा विभाग"- 41936.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3869.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 45805.50 लाख रु. कर दिया गया जो, यद्यपि, नैमित्तिक मजदूरों के कम काम पर लगाए जाने तथा सादगी उपायों के अपनाए जाने के कारण 1776.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "रक्षा संपदा संगठन"- 4417.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 451.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4868.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा एवं यात्रा व्यय बिलों की अदायगी न किए जाने के कारण 237.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवा निदेशालय"- 479685.00 लाख रु. के मूल प्रावधन को 91591.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 571276.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो बिक्री में अत्यधिक कमी आने की वजह से मदों की कम खरीद किए जाने, चरण-I के अंतर्गत परियोजन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने तथा सादगी उपायों को अपनाए जाने के कारण 25466.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2052" – "Other Offices"-

(a) "Defence Accounts Department"- the original provision of Rs.41936.50 lakhs was augmented to Rs.45805.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3869.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1776.89 lakhs - due to less employment of casual labours and observance of austerity measures.

(b) "Defence Estate Organisation"- the original provision of Rs.4417.00 lakhs was augmented to Rs.4868.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.451.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.237.41 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and non-payment of medical and travel expenses bills.

(B) Major Head "2075"- "Canteen Stores Department-Directorate of Canteen Services"- the original provision of Rs.479685.00 lakhs was augmented to Rs.571276.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.91591.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.25466.10 lakhs- due to less purchase of items owing to drastic reduction of sales, delay in finalisation of project under phase-I and observance of austerity measures.

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - रक्षा विभाग'' के अंतर्गत 300.58 लाख रु. की बचत (4730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट निधियों का उपयोग न किए जाने, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में प्रत्याशा से कम संख्या में सम्मेलन आयोजित किए जाने, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान परिसर के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति होने तथा सादगी उपायों को अपनाए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Defence"-saving of Rs.300.58 lakhs(against the sanctioned provision of Rs.4730.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds earmarked for Information Technology related projects, less number of conferences of Institute for Defence Studies and Analysis than anticipated, slow progress in construction work of Institute for Defence Studies and Analysis Complex and observance of austerity measures.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4047'' अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	40000.00	36758.99	30119.19	–6639.80
पु.	R.	–3241.01			
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	731.00	658.00	392.40	–265.60
पु.	R.	–73.00			
मुख्य शीर्ष ''4075'' विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	1500.00	175.00	101.36	–73.64
पु.	R.	–1325.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1125.00	843.00	936.84	+93.84
पु.	R.	–282.00			

(I) 1.20 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "7615"- "विविध कर्ज" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.20 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7615"- "Miscellaneous Loans".

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत 9880.81 लाख रु. की बचत (40000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों, विलंबित सुपुर्दगी अनुसूची को स्वीकृत न किए जाने तथा प्रतिस्थापित स्कीमों की स्वीकृति में विलंब होने और सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में नियोजित निर्माण कार्यों को निष्पादित न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047"-"Customs-Coast Guard Organisation"- saving of Rs.9880.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40000.00 lakhs) was due to non-sanctioning of schemes, delayed delivery schedule, delay in sanctioning of replacement schemes and non-execution of planned works in Tsunami affected areas.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण- रक्षा संपदा संगठन" के अंतर्गत 276.78 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059"-"Office Buildings-Construction - Defence Estate Organisation"- saving of Rs. 276.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 300.00 lakhs) was due to non-sanction of projects by the Ministry.

(IV) मुख्य शीर्ष "4075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - निर्माण" के अंतर्गत 1398.64 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न केंद्रों पर भांडागारों के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान न किए जाने की वजह से परियोजना प्रारंभ न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4075"-"Canteen Stores Department-Construction"- saving of Rs.1398.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-commencement of project owing to non-sanctioning of construction work of warehouses at various stations.

(V) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन- अन्य आवास - निर्माण" के अंतर्गत 181.43 लाख रु. की बचत (995.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमईएस द्वारा अनुमानित प्राक्कलन/ब्लू प्रिंट तथा निविदाकारों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से परियोजनाओं को आरंभ न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4216"-"Government Residential Buildings-Other Housing-Construction"- saving of Rs.181.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.995.00 lakhs) was due to non-commencement of projects owing to delay in non-finalisation of Approximate Estimates/ Blue Prints and tenders by MES.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.82 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of Rs.61.82 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.